संग्रहालय में संग्रहण की विधियाँ (Mode of Acquisition in Museum)

Dr. Dilip Kumar
Assistant Professor (Guest)
Dept. of Ancient Indian History & Archaeology,
Patna University, Patna
Paper – CC-204 (8), Sem. – IV

संग्रहालय के संग्रह हेतु अच्छी से अच्छी वस्तुओं का संग्रहण किया जाना चाहिए ताकि संबन्धित संग्रहालय अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल हो सके। इसके लिए प्रत्येक स्तर के संग्रहालय अपनी विशिष्टता को बनाये रखने के लिए अपने अनुरूप संग्रह करते है।

संग्रहालयीय संग्रहण हेतु निम्नलिखित विधियाँ प्रयुक्त होती है -

1. सामग्रियों को क्रय करना
2. सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त करना
3. दान द्वारा
4. आदान - प्रदान द्वारा
5. सामग्रियों के प्रतिरूप की प्राप्ति
6. ऋण द्वारा
7. उत्खनन द्वारा

1. सामग्रियों को क्रय करना - संग्रहालय में बस्तुओं की प्राप्ति का सर्वप्रमुख माध्यम उन सामग्रियों का संग्रहालय में उपलब्ध स्रोतों द्वारा क्रय करना। इसके लिए बजट में राशि का आवंटन किया जाता है। क्रय समिति द्वारा मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक अथवा वार्षिक वैठक में इसके लिए मसौदा तैयार किया जाता है। कभी - कभी धनाढय व्यक्तियों द्वारा भी क्रय हेतु धनराशि प्रदान की जाती है। सिक्कों, चित्रों, मूर्तियों आदि के मूल्य निर्धारण हेतु विशेष प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाती है।

क्रय करने में कुछ समस्याएँ होती है जैसे - कलावस्तुए किस संग्रहालय के लिए कितनी उपयोगी या महत्वपूर्ण है, इसका नजरअंदाज हो सकता है। कलावस्तु की वास्तविकता व प्राचीनता पर सन्देह हो सकता है। कलावस्तु के बारे में यह जानना जरुरी है कि वह वास्तविक एवं चोरी न की गई हो। संग्रहालय में क्रय हेतु पत्रिका आदि में इस्तेहार या विज्ञापन होना

जरुरी है । इनके अतिरिक्त शैक्षणिक समस्या कलावस्तु की प्राचीनता तथा काल के सम्बन्ध में जानकारी नहीं हो पाती है । क्रय के पश्चात क्रेता (निदेशक) की जिम्मेदारी सुरक्षा एवं रजिस्ट्रेशन की दृष्टि से बढ़ जाती है ।

2. सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त करना - संग्रहालयों में विशेषज्ञों द्वारा कला वस्तु के रूप में संग्रहनीय पुरातत्वीय वस्तुओं का सर्वेक्षण द्वारा पता लगाने वाले दल द्वारा भी कला वस्तुएं संग्रहालय को उपलब्ध कराई जाती है, अनेक मृण्मूर्तियाँ, प्रस्तर मूर्तियाँ, मनके एवं मृदभांड भारतीय वसुंधरा पर यत्र - तत्र प्रकीर्ण मिलते है जिनका संग्रह field archaeologists द्वारा किया जाता है । यह संग्रहण दो प्रकार का होता है - (a) सरकारी स्तर पर एवं (b) ब्याक्तिगत स्तर पर ।

सरकारी स्तर पर तो कला वस्तुएँ आसानी से संग्रहालय को प्राप्त हो जाती है किन्तु ब्याक्तिगत स्तर पर किया गया संग्रहण संग्रहकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह संग्रहालय को दे या न दे । इस विधि से प्राप्त कलावस्तुएँ वैज्ञानिक रीति महत्वपूर्ण उत्खनन से कम होती है ।

3. दान द्वारा - दान संग्रह वृद्धि का महत्वपूर्ण साधन है जब किसी संग्रहालय की स्थापना की जा रही हो अथवा उसे विकसित किया जा रहा हो तो ऐसी स्थिति में दान द्वारा संग्रह सर्वोतम होता है । जब कोई दानकर्ता अपनी पुरातत्व के महत्व की कला वस्तुओं को या अपने पूर्वजों की सामग्रियों को उनकी स्मृति में सशर्त या लिखित इकरारनामे के तहत, संग्रहालय को प्रदर्शन हेतु देता है तो वह दान कहलाता था । यह व्यक्ति विशेष के जीवित रहते या मृत्यु पर दिया जाता है । इस प्रकार के संग्रह हेतु दो तथ्य होने चाहिए - (a) संग्रह की इच्छा (b) संग्रह के लिए शक्ति ।

4. आदान - प्रदान द्वारा - जब किसी संग्रहालय में किसी कला वस्तु की कई प्रतियाँ होती है तथा किसी काल, कला विशेष की कला वस्तु का आभाव होता है तो दूसरे संग्रहालयों से आदान - प्रदान द्वारा इस कमी को पूरा किया जाता है । इससे वस्तुओं के तुलनात्मक अध्ययन से सहायता मिलती है । यह विधि अत्यंत सरल एवं अल्प व्यय साध्य होती है । इस विधि का अनुकरण आज भी किया जा रहा है । दुसरे देशों की चीजें इसी विधि से भारतीय संग्रहालयों में तथा भारतीय वस्तुएँ विदेशी संग्रहालय में पहुचीं है।

इसमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक है जैसे - Board of Directors के स्वीकृति के पश्चात् ही आदान- प्रदान द्वारा कलावस्तुएँ ली जाती है, संग्रहालय को नुकसान

नहीं पहुचना चाहिए तथा आदान - प्रदान का विवरण एक रजिस्टर में अंकित किया जाना चाहिए ।

5. सामग्रियों के प्रतिरूप की प्राप्ति - प्रत्येक संग्रहालय अपने संग्रहों की विशेषकर Master pieces की प्रतिलिपि (Plaster of Peris) तैयार करवाते है जिनकी कीमत बहुत कम होती है । जिन संग्रहालयों में किसी प्रकार की कला वस्तुओं का अभाव होता है वे सम्बंधित कला वस्तु की प्रतिरूप क्रय करके अपने यहाँ प्रदर्शित करते है, जिससे उस अभाव की पूर्ति हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था विशेष रूप से मात्र संग्रहालयों में की जाती है ।

6. ऋण द्वारा - किसी विशेष प्रदर्शन अथवा सुरक्षित रखने हेतु संग्रहालय किसी कला प्रेमी या संस्था द्वारा कला वस्तुओं को उधार भी प्राप्त कर सकते है। यह उधार (ऋण) दो प्रकार के होते है - (i) अल्पावधि ऋण एवं (ii) दीर्घावधि ऋण ।

(i) अल्पावधि ऋण - इस प्रकार के ऋण किसी विशेष प्रदर्शन या विषय - वस्तु विशेष हेतु दिए जाते है । इसमें अवधि विशेष हेतु बीमा भी कराया जाता है । ऋण हेतु ग्राही एवं दाता संग्रहालय के मध्य कला वस्तु विषयक इकरारनामा किया जाता है । अल्पकालीन ऋण में दुर्लभ बस्तुओं को नहीं देना चाहिए तथा मानक से निम्नकोटि की कला वस्तुएँ ऋण के रूप में स्वीकार नहीं करनी चाहिए ।

(ii) **दीर्घावधि ऋण -** कभी कभी दाता द्वारा संग्रहालयों को सशर्त दीर्घावधि ऋण के रूप में कला वस्तुएँ प्राप्त होती है जो शर्त टूटने की स्थिति में ही वापस की जाती है। लेकिन यह भी सत्य है कि दीर्घकालीन ऋण प्रायः स्थायी तौर पर होती है ।

7. उत्खनन द्वारा - संग्रहालयों के उत्खनन विभाग अथवा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सहयोग अथवा अनुमति से ऐतिहासिक / पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से प्राप्त तथा वैज्ञानिक रीति से निर्धारित तिथि वाली कला वस्तुएँ संग्रह हेतु प्राप्त होती है । साधारणतया यह पद्धति विश्वविद्यालयों तथा शैक्षिक संस्थाओं के संग्रहालयों द्वारा अपनायी जाती है । संग्रहालय के लिए उत्खनन में निम्न आवश्यकताएँ होती है -

(i) अनुज्ञप्ति

(ii) कर्मचारीगण

(iii) धन

कला वस्तुओं के संग्रह कि यह एक महत्वपूर्ण एवं वैज्ञानिक तरीका है । इसमें कला वस्तुओं के विषय में सम्पूर्ण जानकारी एवं विवरण प्राप्त हो जाता है। उत्खनन हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से अनुमति लेना आवश्यक होता है ।

निष्कर्ष:-

इस प्रकार हम देखते है कि संग्रहण किसी भी संग्रहालय का प्रमुख कार्य है जिसके अभाव में संग्रहालय अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता । संग्रहण हेतु उपर्युक्त में से किसी रीति - नीति का अथवा समयानुसार परिवर्तन के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए । संग्रहाललीय वस्तुओं को संग्रहित करना सैद्धान्तिक रूप में जितना सरल है व्यवहारिक रूप में उतना ही कठिन है । ऐसा कोई शायद ही संग्रहालय होगा जिसके पास संग्रह हेतु वस्तुएँ खरीदने के लिए प्रर्याप्त धन, प्रत्येक क्षेत्रों के विद्वान एवं ऐसे सुअवसर प्राप्त हो कि वह कला के किसी विशेष विभाग का पूर्णरूपेण प्रतिनिधि एवं सुव्यवस्थित संग्रह हो। आमतौर पर कला संग्रह अत्यंत जटिल होते है क्योंकि इनकी संग्रहण रीति अनियमित होती है । संग्रह वृद्धि की दृष्टि से संग्रहालय के लिए सर्वोतम दान कलाकृतियों के क्रयार्थ धन का दान है जिससे स्वतंत्रतापूर्वक सोंच - समझकर संग्रहालय की आवश्यकतानुसार कला वस्तुएँ खरीदी जाएँ जिससे संग्रहालय अपनी अभाव की स्थिति को भर सके तथा अपने विद्वान कर्मचारियों की सूझबूझ से लाभ उठा सके।